निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 20/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. सत्यनारायण पुत्र छोटू राम जाति माली निवासी चौंवडिया वाली ढाणी, तहसील चाकसू जिला जयपुर, ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

चौथ्या पुत्र धन्ना जाति माली निवासी चौंवडिया वाली ढाणी, तहसील चाकसू, जिला जयपुर ग्रामीण।

अप्रार्थी

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी एक्ट 1955 बाबत सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 11/2013 ब उनवानी रामेश्वर बनाम चौथ्या व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री राकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री मनोज कुमार अजमेरा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 08.02.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 11/2013 ब उनवानी रामेश्वर बनाम चौथ्या व अन्य विचाराधीन है। जिसे चाकसू सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अजमेरा ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त उनवानी दावा पूर्व में उपखण्ड अधिकारी चाकसू के यहां प्रस्तुत हुआ था और यही पर चला था इसी दोरान एस डी ओ चाकसू की न्याय प्रणाली से प्रार्थी के संतुष्ट नही होने की वजह से माननीय न्यायालय के समक्ष ट्रान्सफर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा सहायक कलक्टर प्रथम के यहां पत्रावली ट्रान्सफर हुई थी। उक्त प्रकरण में जयपुर न्यायालय में उपस्थित होने पर ज्ञात होता है कि कभी वर्क सस्पेण्ड, कभी कन्डोलेन्स जिसकी वजह से प्रार्थी आये दिन किराया भाड़ा लगा कर उपस्थित होते है, किन्तु कोई कायवाही नहीं होती है तथा वर्तमान में पूर्व पीठासीन अधिकारी का तबादला हो जाने से प्रार्थी उक्त प्रकरण पुनः चाकसू न्यायालय मे ही ट्रान्सफर करवाना चाहता है। पक्षकार चाकसू जिला जयपुर के स्थायी निवासी है तथा वहीं पर

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

निवास करते है तथा ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जो प्रत्येक पेशी पर चाकसू से जयपुर किराया भाड़ा लगा कर एवं समय अभाव के कारण आने में असमर्थ है। अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु चाकसू न्यायालय मे अन्तरित करने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूठे तथ्य अंकित करते हुये पूर्व में चाकसू से जयपुर स्थनान्तरित करवाया था। अब फिर जयपुर से चाकसू करवाने के लिए यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम, जयपुर जिला के अधीनस्थ आता है तथा चाकसू, जयपुर जिला ग्रामीण के अधीन आता है एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित किये जाने का अधिकार मान्य न्यायालय को नहीं है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने जिला कलक्टर जयपुर के अधीन आने वाले सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम में लम्बित उक्त उनवानी प्रकरण को चाकसू जो कि जिला कलक्टर जयपुर ग्रामीण के अधीन आता है, में स्थानान्तरित किये जाने का निवदेन किया है। इस न्यायालय को प्रकरण को जयपुर जिला में ही स्थानान्तरित किये जाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो ।

9. निर्णय आज दिनांक **08.02.2024** को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर